

# लेटवे एक दृष्टि में

2012–2013

मध्यप्रदेश सरकार

## आमूल्य

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन “लेखे एक दृष्टि में” का पन्द्रहवाँ अंक है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की आवश्यकता अनुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन के अधीन राज्य शासन के वार्षिक लेखे राज्य के विधानमंडल में रखे जाने के लिए तैयार कर जांच किए जाते हैं। वार्षिक लेखाओं में (अ) वित्त लेखे एवं (ब) विनियोग लेखे समाहित होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत लेखे के संक्षिप्त विवरण होते हैं। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध मांगवार व्यय तथा प्रदत्त निधि एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतरों के लिए प्रस्तावित स्पष्टीकरणों को इंगित करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

“लेखे एक दृष्टि में” वित्त एवं विनियोग लेखे में प्रतिबिम्बित शासकीय क्रियाकलापों का एक विस्तृत विवरण लोकन है। इसमें सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों तथा ग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह आंकड़े मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं विनियोग लेखे से लिए गए हैं। अंतर की स्थिति में वित्त एवं विनियोग लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों को सही समझा जावे।

इस प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव आमंत्रित है।

स्थान : ग्वालियर  
दिनांक : 18 फरवरी 2014

रुद्रा - साहा

(रुद्रा साहा)  
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम  
मध्य प्रदेश

## हमारी दृष्टि, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हम वैशिक नेतृत्व के लिये प्रयासरत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्यपद्धति के पहलकारों में रहे हैं और शासन तथा सार्वजनिक वित्त की स्वतंत्र, विश्वसनीय, सन्तुलित एवं सामयिक सूचना देने के लिये पहचाने जाते हैं।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है।

भारत के संविधान से अधिदिष्ट, हम उच्चगुणवत्तापूर्ण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं अपने हितधारकों—विधायिका, कार्यपालिका एवं आमजन को स्वतंत्रतापूर्वक आश्वासन देते हैं कि, लोक निधियों का पूर्ण दक्षता एवं इच्छित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

हम जो भी करते हैं, उसके लिये हमारे बुनियादी मूल्य मार्गदर्शक दीपस्तम्भ की तरह है जो हमारे कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिये मानक तय करते हैं :—

- › स्वतंत्रता
- › उद्देश्यपरकता
- › सत्यनिष्ठा
- › विश्वसनीयता
- › व्यवसायिक उत्कृष्टता
- › पारदर्शिता
- › सकारात्मक पहल

# विषय सूची

पृष्ठ

## अध्याय 1 विहंगावलोकन

1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखे का स्वरूप	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	2
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	4
1.5	लेखे की प्रमुखतायें	7
1.6	घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं	9

## अध्याय 2 प्राप्तियां

2.1	प्रस्तावना	12
2.2	राजस्व प्राप्तियां	12
2.3	प्राप्तियों का रूझान	13
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	15
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	16
2.6	विगत पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति	17
2.7	सहायक अनुदान	17
2.8	लोक ऋण	18

## अध्याय 3 व्यय

3.1	प्रस्तावना	19
3.2	राजस्व व्यय	19
3.3	पूँजीगत व्यय	21

<b>अध्याय 4</b>	<b>आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय</b>	
4.1	व्यय का वितरण	24
4.2	आयोजना व्यय	24
4.3	आयोजनेतर व्यय	25
4.4	व्यय का अतिरेक	26
4.5	प्रतिबद्ध व्यय	27
<b>अध्याय 5</b>	<b>विनियोग लेखे</b>	
5.1	विनियोग लेखे का सार	29
5.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	29
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	30
<b>अध्याय 6</b>	<b>परिसम्पत्तियां एवं दायित्व</b>	
6.1	परिसम्पत्तियां	32
6.2	ऋण तथा दायित्व	32
6.3	प्रत्याभूतियां	34
<b>अध्याय 7</b>	<b>अन्य मर्दे</b>	
7.1	आन्तरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	35
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	35
7.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	35
7.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश	36
7.5	लेखों का पुनर्मिलान	37
7.6	कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	37
7.7	अधिसंख्य सार आकस्मिक देयकों की स्थिति	38

# अध्याय – 1

## विहंगावलोकन

### 1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों, लोक निर्माण एवं वन संभागों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होता है। ऐसे संकलन के पश्चात प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, प्रतिवर्ष वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा एवं भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

### 1.2 लेखे का स्वरूप

#### 1.2.1 शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :

##### भाग 1

##### समेकित निधि

राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं की प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण और उधार एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय परिशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग

##### भाग 2

##### आकस्मिकता निधि


बजट में उपबन्धित न किये गये अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है।

##### भाग 3

##### लोक लेखा

इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण और उचंत से संबंधित लेन–देन शामिल हैं। ऋण एवं जमा शासन के पुनर्मुग्गतान दायित्व को निरूपित करते हैं। पेशगियां सरकार की प्राप्ति योग्य राशियां हैं। प्रेषण एवं उचंत लेन–देन समायोजनीय प्रविष्टियां हैं जिन्हें अन्ततः लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज कर शोधित किया जाता है।

### 1.2.2 लेखों का संकलन



## 1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

### 1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ ही राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009–10 से इन्हें दो खण्डों में जारी किया जाता है। खण्ड-I में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र सहित सकल प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें समाहित हैं। खण्ड-II में अन्य संक्षिप्त विवरण (भाग—I), विस्तृत विवरण (भाग—II) एवं परिशिष्ट (भाग—III) शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे में सम्मिलित प्राप्तियां एवं संवितरण निम्नानुसार हैं—

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियां कुल : 7,99,20	राजस्व कुल : 7,04,27	कर राजस्व	5,13,87
		गैर कर राजस्व	70,00
		सहायता अनुदान	1,20,40
	पूंजीगत कुल : 94,93	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	33
		उधार और अन्य दायित्व <sup>1</sup>	94,20
		अन्य प्राप्तियां <sup>2</sup>	40
	संवितरण कुल : 7,99,20	राजस्व	6,29,68
		पूंजीगत	1,15,67
		उधार और अग्रिम	53,78
		अन्तर्राज्यीय परिशोधन	7

संघ सरकार, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे प्रचुर निधियां स्थानान्तरित करती हैं। इस वर्ष, भारत सरकार ने सीधे ₹ 70,61<sup>3</sup> करोड़ (विगत वर्ष 94.97<sup>4</sup> करोड़) विमुक्त किये हैं। चूंकि ये निधियां राज्य के बजट के माध्यम से नहीं दी गई हैं अतः ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रतिबिम्बित नहीं होती। अब ये स्थानान्तरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VII में प्रदर्शित हो रही हैं।

<sup>1</sup> उधार और अन्य दायित्व: लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियां-संवितरण) (₹ 52.07 करोड़) + आकस्मिक निधि की निवल राशि (निरक) + लोक लेखे की निवल राशि (प्राप्तियां-संवितरण) (₹ 32.55 करोड़) + रोकड़ शेष का प्रारंभिक एवं अतिम शेष (₹ 9.58 करोड़)

<sup>2</sup> सहकारी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशपूँजी में निवेश की वापसी से संबंधित पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 31 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 9 करोड़) सम्मिलित हैं।

<sup>3</sup> वित्त लेखे 2012–13 के अनुसार ₹ 62,34 करोड़ } <sup>4</sup> वित्त लेखे 2011–12 के अनुसार ₹ 92.81 करोड़ }

आंकड़े वित्त लेखे से मेल नहीं खाते क्योंकि वित्त लेखे में केवल प्रमुख योजनाएं ही समाहित हैं।

### 1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। वे राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित “दत्तमत” और संचित निधि पर “प्रभारित” राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इसमें 53 प्रभारित विनियोग एवं 133 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित हैं।

विनियोग अधिनियम 2012–13 में ₹ 10,14,23.39 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 33,29.04 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियाँ) उपबंधित हैं। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 8,39,62.19 करोड़ एवं व्यय में कमी ₹ 4,57.56 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 1,74,61.20 करोड़ की शुद्ध बचत (17.22 प्रतिशत) एवं ₹ 28,71.48 करोड़ (86.25 प्रतिशत) प्राक्कलन से अधिक ‘व्यय में कमी’ रही। राजस्व एवं पूँजीगत में व्यय में कमी प्राक्कलन से कम रहा। सकल व्यय में सार आकस्मिक देयकों से आहरित राशि ₹ 1.66 करोड़ सम्मिलित है, जो विस्तृत आकस्मिक देयकों की प्रतीक्षा में वर्षान्त तक लम्बित रही।

वर्ष 2012–13 में ₹ 1,15.99 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखे के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित किए गए। जो निर्दिष्ट प्रशासकों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संधारित किए जाते हैं। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में व्यक्तिगत जमा खातों के अन्तर्गत अव्ययित रही राशि यदि कोई हो, शासन को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के स्थानान्तरणों का विस्तृत विवरण एवं व्यक्तिगत जमा खातों में लंबित शेष केवल कोषालयों में उपलब्ध है। क्योंकि वे इस प्रकार का अभिलेख संधारित करने हेतु जिम्मेदार हैं।

## 1.4 निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग

### 1.4.1 अर्थोपाय पेशागियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय पेशागियों की सुविधा प्रदान कर अपनी तरलता स्थिति बनाये रखने में समर्थ बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार न्यूनतम शेष राशि (₹ 1.96 करोड़) में कमी होने पर अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है। 2012–13 के दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने अर्थोपाय पेशागी या अधिविकर्षण सुविधा का आश्रय नहीं लिया।

#### 1.4.2 निधियों के प्रवाह का विवरण

राज्य के पास ₹ 74,59 करोड़ का राजस्व अतिशेष एवं ₹ 94,20 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>5</sup> का 2.06 प्रतिशत एवं 2.60 प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 12 प्रतिशत रहा। यह घाटा लोक ऋण (₹ 52,07 करोड़) से पूरा किया गया, लोक लेखे में आधिक्य (₹ 32,55 करोड़) एवं प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का निवल ₹ (-) 9,58 करोड़ रहा। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 7,04,27 करोड़) का लगभग 38 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन मजदूरी सहित (₹ 1,60,26 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 55,74 करोड़) एवं पेंशन (₹ 49,47 करोड़) पर व्यय किया गया।

#### निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	राशि
स्रोत	01 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक नगद शेष	6,95
	राजस्व प्राप्तियां	7,04,27
	पूंजीगत प्राप्तियां	31
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	33
	सार्वजनिक ऋण	87,91
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	23,19
	आरक्षित एवं शोधन निधि	24,41
	जमा प्राप्ति	60,27
	चुकता सिविल अग्रिम	4,75
	उचन्त लेखा	22,59,10
	प्रेषण	1,51,67
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	9
	योग	33,23,25


5

जहाँ अन्यथा दर्शाया गया है, के सिवाय, इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंक म.प्र. शासन के योजना विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं।


(करोड़ ₹ में)

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	6,29,68
	पूंजीगत व्यय	1,15,67
	दिए गए कर्ज	53,78
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	35,84
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	14,82
	आरक्षित एवं शोधन निधि	4,23
	जमा व्यय	56,77
	दिए गए सिविल अग्रिम	4,76
	उच्चन्त लेखा	22,62,59
	प्रेषण	1,47,67
	31 मार्च 2013 को अंतिम नगद शेष	(-) 2,63
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	7
	योग	33,23,25

#### 1.4.3 रूपया कहाँ से आया



#### 1.4.4 रुपया कहां गया



#### 1.5 लेखे की प्रमुखताएँ

(करोड़ ₹ में)

मर्दे	बजट अनुमान 2012–13	वास्तविक राशि	बजट अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता <sup>6</sup>
1. कर राजस्व <sup>7</sup>	4,99,17	5,13,87	103	14
2. करेतर राजस्व	73,27	70,00	96	2
3. सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,26,70	1,20,40	95	3
4. राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	6,99,14	7,04,27	101	19
5. ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	99	33	33	0
6. अन्य प्राप्तियां <sup>8</sup>	—	40	0	0

<sup>6</sup> योजना विभाग म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद राशि ₹ 36,18,74 करोड़ ली गई है।

<sup>7</sup> संघ कर का अंश ₹ 2,08,05 करोड़ सम्मिलित है।

मर्दे	बजट अनुमान 2012–13	वास्तविक राशि	बजट अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता <sup>6</sup>	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता <sup>6</sup>
7. उधार तथा अन्य दायित्व <sup>9</sup>	1,00,18	94,20	94	3
8. पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	1,01,17	94,93	94	3
9. कुल प्राप्तियां (4+8)	8,00,31	7,99,20	100	22
10. आयोजनेतर व्यय <sup>10</sup>	4,82,88	4,84,92	100	13
11. राजस्व लेखे का आयोजनेतर व्यय	4,45,97	4,46,19	100	12
12. 11में सम्मिलित ब्याज अदायगी पर आयोजनेतर व्यय	62,75	55,74	89	2
13. पूंजीगत लेखे का आयोजनेतर व्यय <sup>11</sup>	36,91	38,73	105	1
14. योजना व्यय	3,17,43	3,14,28	99	9
15. राजस्व लेखे का योजना व्यय	1,89,46	1,83,49	97	5
16. पूंजीगत लेखे का योजना व्यय <sup>12</sup>	1,27,97	1,30,79	102	4
17. कुल व्यय (10+14)	8,00,31	7,99,20	100	22
18. राजस्व व्यय (11+15)	6,35,43	6,29,68	99	17
19. पूंजीगत व्यय (13+16) <sup>13</sup>	1,64,88	1,69,52	103	5
20. राजस्व आधिक्य (4–18)	63,71	74,59	117	2
21. राजकोषीय घाटा (4+5+6–17)	1,00,18	94,20	94	3

8 पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 2 देखें।

9 पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 1 देखें।

10 वास्तविक आयोजनेतर व्यय में राजस्व व्यय ( $\text{₹ } 4,46,19$  करोड़) पूंजीगत व्यय ( $\text{₹ } 24$  करोड़) तथा संवितरित ऋण तथा अग्रिम ( $\text{₹ } 38,42$  करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन ( $\text{₹ } 7$  करोड़) सम्मिलित है।

11  $\text{₹ } 38,42$  करोड़ “ऋण और अग्रिम”,  $\text{₹ } 7$  करोड़ “अंतर्राज्यीय परिशोधन” तथा  $\text{₹ } 24$  करोड़ “पूंजीगत व्यय” सम्मिलित है।

12 पूंजीगत योजना व्यय  $\text{₹ } 1,15,43$  करोड़ तथा योजना ऋण और अग्रिम व्यय  $\text{₹ } 15,36$  करोड़ सम्मिलित है।

13 पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय ( $\text{₹ } 1,15,67$  करोड़) एवं संवितरित ऋण तथा अग्रिम ( $\text{₹ } 53,78$  करोड़) तथा अन्तर्राज्यीय परिशोधन ( $\text{₹ } 7$  करोड़) सम्मिलित हैं।

## 1.6 घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं

घाटा	राजस्व और व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाता है और निधियों के अनुप्रयोग वित्तीय व्यवस्था में दूरदर्शिता के मुख्य सूचक है।
राजस्व घाटा / आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन के विद्यमान स्थापना के अनुरक्षण के अपेक्षित तथा आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से मिलना चाहिए।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को पृथक कर) तथा कुल व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अंतर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।


घाटा सूचक, राजस्व आवर्धन तथा व्यय व्यवस्थापन शासन के राजकोषीय प्रदर्शन के विवेचन के वृहद् मापदण्ड हैं। 12वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि वर्ष 2008–09 तक राज्य राजस्व शेष का उपार्जन करे तथा वर्ष 2009–10 तक निवल राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक कमी करे। आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे—सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की स्वीकार्य सीमा को वर्ष 2009–10 में 4 प्रतिशत तथा 2010–11 में 3.5 प्रतिशत तक आगे शिथिल किया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य शासन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने ऋण के एकत्रीकरण तथा राहत सुविधा (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि) को विस्तारित किया जिसके अंतर्गत सफल राज्य सरकारें मूल तथा/या ब्याज पर राहत प्राप्त करेंगी। परिणामस्वरूप म.प्र.सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) नियम 2005 अधिनियमित किया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत सीमित रखा जाना था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जबकि वास्तविक राजकोषीय घाटा 2.60 प्रतिशत है।<sup>14</sup>

राज्य सरकार शीघ्रतम् 2004–05 में राजस्व आधिक्य को उपार्जित करने में सफल रही है तथा इसे तदोपरांत<sup>15</sup> बनाए हुए हैं।


<sup>14</sup> वर्ष 2011–12 में राजकोषीय घाटा ₹ 57,60 करोड़ तथा 2012–13 में ₹ 94,20 करोड़ था।

<sup>15</sup> वर्ष 2011–12 में राजस्व आधिक्य ₹ 99,10 करोड़ तथा 2012–13 में ₹ 74,59 करोड़ था।


### 1.6.1 राजस्व आधिक्य का प्रवृत्ति



### 1.6.2 राजकोषीय धाटे का प्रवृत्ति



### 1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात



यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार निधियों को पूर्णतः उपयोग किया जावे तथा मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया जावे। तथापि राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिये उधार के रूप में ₹ 87,91 करोड़ प्राप्त किये तथा इस राशि में से ₹ 35,84 करोड़ लोक ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च किये।

# अध्याय – 2


## प्राप्तियां

### 2.1 प्रस्तावना

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2012–13 में कुल प्राप्तियां ₹ 7,99,20 करोड़ थीं।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय कर अंश समाविष्ट होते हैं।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि समिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	संघीय सरकार से राज्य सरकार को अत्यावश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है। संघीय सरकार की मध्यस्थता द्वारा एवं विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य अनुदान सहायता तथा सहायता, सामग्री तथा उपकरण समिलित है। इसी प्रकार राज्य शासन, संस्थाओं जैसे :— पंचायती राज संस्थाएं, स्वशासी निकाय आदि को भी सहायता अनुदान देता है।



## राजस्व प्राप्तियों के घटक

(करोड़ ₹ में)

घटक	वास्तविक राशि
<b>क. कर राजस्व</b>	<b>5,13,87</b>
आय और व्यय पर कर	1,22,02
पूंजीगत लेन-देनों तथा संपत्ति पर कर	48,13
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	3,43,72
<b>ख. करेतर राजस्व</b>	<b>70,00</b>
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	3,20
सामान्य सेवाएं	4,44
सामाजिक सेवाएं	18,55
आर्थिक सेवाएं	43,81
<b>ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान</b>	<b>1,20,40</b>
<b>योग – राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>7,04,27</b>

### 2.3 प्राप्तियों का रुझान

(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
कर राजस्व	2,43,81 (12)	2,83,50 (12)	3,70,58 (14)	4,51,92 (15)	5,13,87 (14)
करेतर राजस्व	33,43 <sup>16</sup> (2)	63,82 <sup>16</sup> (3)	57,20 (2)	74,83 (2)	70,00 (2)
सहायता अनुदान	58,54 (3)	66,63 (3)	90,76 (4)	99,29 (3)	1,20,40 (3)
योग – राजस्व प्राप्तियां	3,35,77 (17)	4,13,95 (18)	5,18,54 (20)	6,26,04 (20)	7,04,27 (19)
<b>सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>17</sup>(अ)</b>	<b>19,72,76</b>	<b>22,79,84</b>	<b>26,01,98</b>	<b>30,96,87</b>	<b>36,18,74</b>


नोट :— कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत दर्शाते हैं।

<sup>16</sup> इसमें केन्द्र सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितीकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त राहत ₹ 3,63 करोड़ राशिलित है।

<sup>17</sup> वर्तमान कीमतों पर अनुमानित स.रा.घ.उ.पुनरीक्षित है। अतः स.रा.घ.उ.के संदर्भ में पूर्व संरक्षणों में दर्शाए गए विभिन्न मापदंडों के प्रतिशत अनुपात भी पुनरीक्षित किए गए हैं।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में 17 प्रतिशत बढ़ी तथापि राजस्व संग्रहण में वृद्धि केवल 12 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2011–12 की तुलना में 2012–13 में कर राजस्व 14 प्रतिशत बढ़ा तथा करेतर राजस्व में 6 प्रतिशत कमी हुई।

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक




### क्षेत्रवार कर राजस्व :-

(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
आय और व्यय पर कर	59,30	73,14	95,76	1,10,81	1,22,02
संपत्ति और पूंजीगत लेन देनों पर कर	18,21	19,74	28,88	46,70	48,13
सेवाओं और वस्तुओं पर कर	1,66,30	1,90,62	2,45,94	2,94,41	3,43,72
<b>कुल कर राजस्व</b>	<b>2,43,81</b>	<b>2,83,50</b>	<b>3,70,58</b>	<b>4,51,92</b>	<b>5,13,87</b>

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रुझान



(\*) प्राथमिक रूप से राज्य को केन्द्रांश की निवल प्राप्ति

#### 2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन :-

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य का कर राजस्व	
			रूपये	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2008-09	2,43,81	1,07,67	1,36,14	7
2009-10	2,83,50	1,10,77	1,72,73	8
2010-11	3,70,58	1,56,39	2,14,19	8
2011-12	4,51,92	1,82,19	2,69,73	9
2012-13	5,13,87	2,08,05	3,05,82	8

## 2.5 कर संग्रहण की दक्षता

### क. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
राजस्व संग्रहण	18,21	19,74	28,88	46,70	48,13
संग्रहण पर व्यय	4,07	5,56	6,32	7,52	7,23
कर संग्रहण में दक्षता	22%	28%	22%	16%	15%

### ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
राजस्व संग्रहण	1,66,30	1,90,62	2,45,94	2,94,41	3,43,72
संग्रहण पर व्यय	8,01	10,43	15,98	15,16	16,60
कर संग्रहण में दक्षता	5%	5%	6%	5%	5%

कर राजस्व का मुख्य अंश वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर से आता है। कर संग्रहण में दक्षता श्रेष्ठ है तथापि संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है।


## 2.6 विंगत पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति

(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
निगम कर	35,31	45,59	61,13	71,71	74,73
आय पर निगम कर से भिन्न कर	22,17	25,39	32,30	36,43	44,74
धन कर	3	10	13	28	13
सीमा शुल्क	20,58	15,50	27,35	31,59	34,57
संघ उत्पाद शुल्क	17,95	12,49	19,89	20,44	23,50
सेवा कर	11,63	11,70	15,59	21,74	30,38
संघ करों में राज्य का अंश	1,07,67	1,10,77	1,56,39	1,82,19	2,08,05
कुल कर राजस्व	2,43,81	2,83,50	3,70,58	4,51,92	5,13,87
कुल कर राजस्व में संघ करों का प्रतिशत	44	39	42	40	40

## 2.7 सहायक अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें वित्त आयोग द्वारा अनुशसित राज्य आयोजनेतर सहायता एवं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य आयोजनागत योजनाएं, केन्द्र आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित सहायता शामिल है। वर्ष 2012–13 के अंतर्गत कुल प्राप्तियों में राज्य सहायता ₹ 1,20,40 करोड़ थी जिसे नीचे दिखाया गया है :—



बजट अनुमान ₹ 1,26,70 करोड़ आयोजनागत एवं आयोजनेतर योजना में संघ अंश के विरुद्ध राज्य सरकार को वास्तविक रूप से ₹ 1,20,40 करोड़ (बजट अनुमान का 95 प्रतिशत) सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

## 2.8 लोक ऋण

### विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
आंतरिक ऋण	38,83	53,20	43,52	31,97	42,98
केन्द्रीय ऋण	7,09	8,88	5,77	4,03	9,09
योग – लोक ऋण	<b>45,92</b>	<b>62,08</b>	<b>49,29</b>	<b>36,00</b>	<b>52,07</b>

टीप :— सकल आंकड़े प्राप्तियां—भुगतान।

वर्ष 2012–13 में 8.60 प्रतिशत से 8.92 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 45,00 करोड़ के चार ऋण जो वर्ष 2022–23 में सममूल्य पर मोर्चनीय थे, लिये गये।

# अध्याय — 3

## व्यय

### 3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया गया है। संगठन को चलाने के लिये प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी संपत्ति के निर्माण या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता को बढ़ाने में या स्थायी दायित्वों को कम करने में होता है। व्यय को आयोजना और आयोजनेतर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

#### सामान्य सेवाएं

इसमें न्याय प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेशन आदि शामिल हैं।

#### सामाजिक सेवाएं

इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि शामिल है।

#### आर्थिक सेवाएं

इसमें कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

### 3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2012–13 का राजस्व व्यय ₹ 6,29,68 करोड़ था, जो कि बजट अनुमान से ₹ 5,75 करोड़ कम था क्योंकि ₹ 5,97 करोड़ आयोजना के अंतर्गत कम तथा ₹ 22 करोड़ आयोजनेतर के अंतर्गत अधिक वितरण किया गया था। राज्य द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम 2005 के संबंध में राजस्व आधिक्य को संधारित किया।

विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट अनुमान के विरुद्ध व्यय को नीचे दिया गया है :—

(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
बजट अनुमान	3,15,64	3,82,62	4,18,63	5,39,23	6,35,43
वास्तविक	2,95,14	3,58,97	4,50,12	5,26,94	6,29,68
अंतर	20,50	23,65	(–) 31,49	12,29	5,75
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	6	6	(–) 8	2	1


उपरोक्त तालिका बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व व्यय में 1 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है जो कि मुख्यतया आयोजनेतर राजस्व व्यय में ₹ 22 करोड़ के आधिक्य तथा वास्तविक आयोजना व्यय में ₹ 5,97 करोड़ की कमी के कारण हुई।

### 3.2.1 राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रवार विवरण

(करोड़ ₹ में)

संघटक	राशि	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	<b>23,85</b>	4
(1) संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	7,23	1
(2) वरतुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	16,60	3
(3) अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	—
ख. राज्य के अंग	<b>6,62</b>	1
ग. ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	<b>55,74</b>	9
घ. प्रशासनिक सेवाएं	<b>41,25</b>	6
ड. पेशन तथा विविध रामान्य रोगाएं	<b>49,59</b>	8
च. सामाजिक सेवाएं	<b>2,43,75</b>	39
छ. आर्थिक सेवाएं	<b>1,68,23</b>	27
ज. सहायता अनुदान तथा अंशदान	<b>40,65</b>	6
योग व्यय (राजस्व लेखा)	<b>6,29,68</b>	<b>100</b>

### 3.2.2 राजस्व व्यय के प्रधान संघटक (2008–13)



### 3.3 पूँजीगत व्यय

#### 3.3.1 पूँजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2012–13 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 41,58 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 23,66 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 8,36 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 9,56 करोड़) व्यय किये। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शीर्ष “आवास” के अंतर्गत ₹ 45 करोड़ भवनों के निर्माण पर तथा ₹ 15,04 करोड़ विभिन्न सांविधिक निगमों/सरकारी कंपनियों/सहकारी संस्थाओं में निवेश पर व्यय किये गये।

(करोड़ ₹ में)


संक्र.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं – पुलिस, भू-राजस्व इत्यादि	205	1
2.	सामाजिक सेवाएं – शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि	1621	10
3.	आर्थिक सेवाएं – कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, इत्यादि	9741	57
4.	ऋण तथा अग्रिम वितरित	5378	32
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	7	0
योग		1,69,52	100

### 3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूँजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

(करोड़ ₹ में)

संक्र.	क्षेत्र	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.	सामान्य सेवाएं	1,25	1,19	1,79	1,67	2,05
2.	सामाजिक सेवाएं	12,95	11,78	15,32	15,99	16,21
3.	आर्थिक सेवाएं	52,93	66,28	70,89	72,89	97,41
4.	ऋण तथा अग्रिम	18,61	38,17	37,15	1,57,60	53,78
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1	3	2	4	7
	योग	85,75	1,17,45	1,25,17	2,48,19	1,69,52


## पूँजीगत व्यय के प्रक्षेत्रवार वितरण का रुझान



## अध्याय — 4

### आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय


#### 4.1 व्यय का वितरण



#### 4.2 आयोजना व्यय

वर्ष 2012–13 के दौरान आयोजना व्यय ₹ 3,14,28 करोड़ (₹ 2,22,89 करोड़ राज्य आयोजना के अंतर्गत, ₹ 76,03 करोड़ केन्द्र प्रवर्तित/केंद्रीय योजना योजना के अंतर्गत तथा ₹ 15,36 करोड़ कर्जे और पेशगियों के अंतर्गत) था जो कि कुल वितरण का 39 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

### कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में आयोजना व्यय



#### 4.2.1 पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत आयोजना व्यय


(करोड़ ₹ में)

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
कुल पूँजीगत व्यय	85,75	1,17,45	1,25,17	2,48,19	1,69,52
पूँजीगत व्यय (आयोजना)	71,81	79,11	96,17	1,01,02	1,30,79
कुल पूँजीगत व्यय का पूँजीगत व्यय प्रतिशत (आयोजना)	84	67	77	41	77

#### 4.3 आयोजनेतर व्यय

वर्ष 2012–13 के दौरान आयोजनेतर व्यय, कुल संविरण का 61 प्रतिशत दर्शाते हुए ₹ 4,84,92 करोड़, (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 4,46,19 करोड़ एवं पूँजीगत के अन्तर्गत ₹ 38,73 करोड़) था।

### कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में आयोजनेत्तर व्यय




#### 4.4 व्यय का अतिरेक

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है (मध्यप्रदेश बजट संहिता की कंडिका 26.13) फिर भी यह ध्यान में आया है कि सात प्रकरणों में मार्च 2013 में किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 35 प्रतिशत से 99 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

(करोड़ ₹ में)

सं. क्र.	अनुदान का विवरण	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	मार्च में किया गया व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में किये गये व्यय की प्रतिशतता
1.	21—आवास एवं पर्यावरण	1,81.19	1,73.54	72.73	41.91
2.	25—खनिज संसाधन	14,03.70	13,99.53	13,80.61	98.65
3.	37—पर्यटन	1,33.81	1,30.82	89.50	68.42
4.	51—धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	72.40	68.33	25.04	36.65
5.	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा— ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	9,66.64	8,82.73	3,10.40	35.16
6.	61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	8,63.96	5,07.25	3,57.07	70.39
7.	69—सूचना प्रौद्योगिकी	64.74	60.40	45.59	75.48

#### 4.5 प्रतिबद्ध व्यय



पिछले साल की तुलना में वेतन (मजदूरी सहित) में चौदह प्रतिशत, ब्याज में पांच प्रतिशत एवं पेंशन भुगतान में तेरह प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(करोड़ ₹ में)

घटक	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
प्रतिबद्ध व्यय	1,51,72	1,82,09	2,19,16	2,38,02	2,65,47
राजस्व व्यय	2,95,14	3,58,97	4,50,12	5,26,94	6,29,68
राजस्व प्राप्तियां	3,35,77	4,13,95	5,18,54	6,26,04	7,04,27
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	45	44	42	38	38
राजस्व व्यय का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	51	51	49	45	42

प्रतिबद्ध व्यय पर मुख्य संवितरण राज्य सरकार के साथ विकास खर्च के लिये कम लोच्यता छोड़ता है।

# अध्याय — 5

## विनियोग लेखे

### 5.1 विनियोग लेखे का सार

(करोड़ ₹ में)

संक्र.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	समर्पण
1.	राजस्व						
	दत्तमत	5,81,24.77	57,00.34	6,38,25.11	5,55,64.55	(-) 82,60.56	(-) 33,64.57
2	पूँजीगत						
	दत्तमत	1,15,09.28	24,57.65	1,39,66.93	1,16,98.09	(-) 22,68.84	(-) 16,00.58
	प्रभारित	15.87	1,45.45	1,61.32	1,60.52	(-) 0.80	(-) 0.74
3	लोक ऋण						
	प्रभारित	74,82.73	4.37	74,87.10	35,83.94	(-) 39,03.16	(-) 4.37
4	ऋण एवं अग्रिम						
	दत्तमत	56,78.26	17,94.63	74,72.89	53,87.55	(-) 20,85.34	(-) 6,72.68
	प्रभारित	—	4.67	4.67	—	(-) 4.67	—
	योग	9,08,42.74	1,05,80.65	10,14,23.39	8,39,62.19	(-) 1,74,61.20	(-) 56,70.35

### 5.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	
2008–09	(-) 46,45.76	(-) 10,48.90	(-) 18,75.54	(-) 7,81.96	(-) 83,52.16
2009–10	(-) 58,66.67	(-) 17,16.65	(-) 38,96.41	(-) 4,50.15	(-) 1,19,29.88
2010–11	(-) 67,91.87	(-) 15,30.92	(-) 33,92.77	(-) 4,93.57	(-) 1,22,09.13
2011–12	(-) 79,87.73	(-) 16,22.63	(-) 36,50.31	(-) 17,92.56	(-) 1,50,53.23
2012–13	(-) 91,98.39	(-) 22,69.64	(-) 39,03.16	(-) 20,90.01	(-) 1,74,61.20

### 5.3 महत्वपूर्ण बचतें

एक अनुदान के अन्तर्गत विशिष्ट बचतें कुछ योजना/कार्यक्रमों के अकार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को दर्शाता है। कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं :—

(बचत प्रतिशत में)

अनुदान	नाम	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
<b>राजस्व दत्तमत अनुभाग</b>						
01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबन्धन	16.81	13.51	12.46	15.05	14.87
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	20.85	21.77	21.02	22.85	15.46
06	वित्त	20.04	31.32	27.82	30.20	30.54
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	33.89	22.56	9.67	14.53	17.16
29	विधि एवं विधायी कार्य	22.64	15.70	41.04	20.06	28.05
48	नर्मदा घाटी विकास	19.76	34.62	28.99	16.06	19.41
64	अनुसूचित जाति उप योजना	20.11	21.55	13.00	15.09	15.13
<b>पूँजीगत दत्तमत अनुभाग</b>						
01	सामान्य प्रशासन एवं लोकसेवा प्रबन्धन	39.88	52.27	19.40	41.82	13.40
03	पुलिस	12.18	10.92	17.19	51.79	27.73
23	जल संसाधन	9.23	36.50	8.04	10.93	13.81
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10.29	36.07	11.71	9.71	19.51
45	लघु रिंगार्इ निर्माण कार्य	17.63	29.65	50.90	11.35	11.35
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1,00.00	64.29	69.64	85.47	76.77
64	अनुसूचित जाति उप योजना	12.41	11.55	9.01	19.36	23.48
67	लोक निर्माण कार्य भवन	23.33	14.61	33.28	38.11	32.98

2012–13 के दौरान कुछ प्रकरणों में पूरक अनुदान/विनियोग राशि ₹ 1,05,80.65 करोड़ (कुल व्यय ₹ 8,39,62.19 करोड़ का 12.60 प्रतिशत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, जबकि मूल आवंटन के विरुद्ध वर्ष के अन्त में महत्वपूर्ण बचते हुई। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

(करोड़ ₹ में)

अनुदान	नाम	अनुभाग (प्रभारित)	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
सी.एच. I	लोक ऋण	पूंजीगत (प्रभारित)	74,82.73	4.37	35,83.94
सी.एच. II	ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व (प्रभारित)	62,75.08	1,78.84	55,63.74
06	वित्त	राजस्व (दत्तमत्)	72,88.95	1.10	50,63.40
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व (दत्तमत्)	9,01.12	2.58	7,43.21
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व (दत्तमत्)	8,61.67	1,37.71	8,27.88
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व (दत्तमत्)	21,45.14	1,36.04	20,41.38
23	जल संसाधन	राजस्व (दत्तमत्)	7,42.09	8.93	6,49.00
24	लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल	पूंजीगत (दत्तमत्)	15,08.58	1,09.60	13,85.34
29	विधि एवं विधायी कार्य	राजस्व (दत्तमत्)	6,38.85	46.27	4,92.92
31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	राजस्व (दत्तमत्)	2,40.94	39.09	68.49
38	आयुष	राजस्व (दत्तमत्)	3,41.84	2.30	2,08.02
40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	राजस्व (दत्तमत्)	5.03	0.12	2.47
44	उच्च शिक्षा	राजस्व (प्रभारित)	0.32	0.45	0.26
55	महिला एवं बाल विकास	पूंजीगत (दत्तमत्)	69.75	50.00	2.26
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व (दत्तमत्)	99.00	60.46	52.46
65	विमानन	राजस्व (दत्तमत्)	18.51	3.76	15.80
76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व (दत्तमत्)	28.68	0.50	24.92
77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व (दत्तमत्)	12,30.75	2,16.71	11,82.64
	योग		2,98,79.03	9,98.83	2,19,08.13

# अध्याय – 6

## परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

### 6.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि के जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किये गये हैं, को छोड़कर, सही मूल्यांकन चित्रित नहीं करते हैं। इसी तरह, जबकि लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव उसी वर्ष में डालते हैं, वे, कुछ सीमा तक, ब्याज की दर एवं विद्यमान उधार की अवधि को छोड़कर, भावी पीढ़ी पर कुल मिलाकर डाले गये प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

2012–13 के अंत तक, सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-वित्तीय उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 1,46,57<sup>18</sup> करोड़ रहा तथापि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 18 करोड़ (0.12 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त हुआ। 2012–13 के दौरान निवेश में ₹ 14,73 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभांश में ₹ 20 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2012 को रिजर्व बैंक के पास 6,95 करोड़ रोकड़ शेष था जो मार्च 2013 के अंत में घटकर ₹ (–) 2,63 करोड़ हो गया।

### 6.2 ऋण तथा दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई, जैसा कि समय-समय पर राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित की गई हो, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

राज्य सरकार की कुल देनदारियों और लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है:-

<sup>18</sup>

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच ₹ 10.76 करोड़ आवंटित होना है, की राशि शामिल है।


(करोड रु में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस.डी. पी. का प्रतिशत	लोक लेखे <sup>19(*)</sup>	जी.एस.डी. पी.का प्रतिशत	कुल देयताएं <sup>19(*)</sup>	जी.एस.डी. पी. का प्रतिशत
2008–09	4,66,32	24	1,41,17	7	6,07,49	31
2009–10	5,28,41	23	1,50,12	7	6,78,53	30
2010–11	5,77,69	22	1,77,35	7	7,55,04	29
2011–12	6,13,70	20	2,03,87	7	8,17,57	26
2012–13	6,65,77	18	2,35,91	7	9,01,68	25

(\*) उचन्त एवं प्रेषण शेष छोड़कर

टीप :— वर्ष के अन्त में आंकड़ों का प्रगामी शेष है।

2011–12 की तुलना में 2012–13 में लोक ऋण एवं अन्य दायित्व में ₹ 84.11 करोड़ (10 प्रतिशत) की शुद्ध वृद्धि हुई है।



(\*) बिना ब्याज मुक्त दायित्व जैसे कि स्थानीय निधियों में जमा, अन्य पृथक—रक्षित निधियां, इत्यादि।

19 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच आवंटन नहीं होने से मध्य प्रदेश में ₹ 6,62 करोड़ की राशि रोककर रखी गई है।

### 6.3 प्रत्याभूतियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये पूँजी, ऋण तथा उन पर ब्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :—

(करोड़ ₹ में)

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	31 मार्च 2013 को बकाया राशि
		मूलधन एवं ब्याज
2008–09	1,19,91	19,30
2009–10	1,18,23	16,30
2010–11	84,39	51,11
2011–12	1,11,08	56,05
2012–13	1,47,52	77,20

टीप :— विवरण संख्या 9 में विस्तृत विवरण दिया गया है जो कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और संबंधित संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

# अध्याय – 7

## अन्य मदें

### 7.1 आंतरिक ऋण के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

राज्य सरकार द्वारा दिए गए उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होते हैं। सीधे ही लिए गए कर्जों के अतिरिक्त, राज्य सरकार, शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार एवं वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु लिए गए उधार की गारंटी देती है, जो राज्य बजट के बाहर होते हैं। ये उधार संबंधित प्रशासनिक विभाग की प्राप्ति की तरह व्यवहृत किए जाते हैं एवं शासकीय लेखों में नहीं दर्शाए जाते हैं, तथापि शासकीय लेखों में परिलक्षित ऋण वापसियां, परिणामतः असमाशोधित प्रतिकूल शेषों एवं शासकीय लेखों में दायित्वों के न्यून विवरण के रूप में होती हैं। 31 मार्च, 2013 के अंत तक प्रतिकूल शेष ₹ निरंक है।

### 7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के अंत तक कुल ₹ 2,70,88<sup>20</sup> करोड़ के ऋण एवं अग्रिम दिए गए। इसमें से राशि ₹ 2,70,59<sup>21</sup> करोड़ के ऋण एवं अग्रिम, शासकीय निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को दिए गए। वर्ष के दौरान ₹ 42 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

### 7.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान वर्ष 2008–09 में ₹ 1,03,20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 1,86,88 करोड़ हुआ। वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 1,20,74 करोड़ अनुदान दिया गया जो कि कुल अनुदान का 65 प्रतिशत है।

<sup>20</sup>

मध्य प्रदेश राज्य में रोके गये ₹ 21,86 करोड़ शामिल हैं जिनका पुनर्मिलान किया जाना है।

<sup>21</sup>

मध्य प्रदेश राज्य में रोके गये ₹ 21,19 करोड़ शामिल हैं जिनका पुनर्मिलान किया जाना है।

विगत पांच वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :—

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकाय	पंचायती राज संस्थान	अन्य	योग
2008–09	2,59	—	1,00,61	1,03,20
2009–10	4,29	—	76,59	80,88
2010–11	37,58	—	1,11,29	1,48,87
2011–12	42,42	54,13	64,89	1,61,44
2012–13	51,74	69,00	66,14	1,86,88

#### 7.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश

(करोड़ ₹ में)

घटक	1 अप्रैल, 2012 को	31 मार्च, 2013 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	6,95	(-) 2,63	(-) 9,58
रोकड़ शेष से विनियोग (भारत सरकार के कोषालय देयक एवं प्रतिभूति)	66,80,	68,06	1,26
उद्दिष्ट निधियों के शेषों से विनियोग	3,97	3,98	1
(क) निक्षेप निधि	—	—	—
(ख) प्रतिभूति विमोचन निधि	3,88	3,89	1
(ग) अन्य निधियां	9	9	—
(घ) वसूल ब्याज	3,55	2,48	(-) 1,07

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष के विनियोग पर ब्याज की वसूली में वर्ष 2011–12 की तुलना में 30 प्रतिशत की कमी हुई।

## 7.5 लेखों का पुनर्मिलान

लेखाओं की शुद्धता तथा विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ-साथ समय पर विभागीय आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखाओं के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्षों के द्वारा संपादित किया जाता है। 2012–13 में राज्य सरकार के कुल व्यय ₹ 7,99,20.00 करोड़ के 65 प्रतिशत (राशि ₹ 5,23,39.05 करोड़) का मिलान किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्ति ₹ 7,05,00.00 करोड़ के विरुद्ध केवल 06 प्रतिशत (₹ 43,98.53 करोड़) का मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा लेखाओं के पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दी गई है :—

विवरण	बजट नियंत्रक अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण पुनर्मिलान किया गया	आंशिक पुनर्मिलान किया गया	पुनर्मिलान नहीं किया
व्यय	104	81	23	—
प्राप्तियां	104	81	23	—
योग	208	162	46	—

## 7.6 कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2012–13 के दौरान 660 मासिक लेखों में से 186 लेखे नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त हुये, यद्यपि यह लेखे संबंधित माह के मासिक सिविल लेखों में सम्मिलित किये गए। कोषालयों द्वारा नियत समय पर लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये। विवरण निम्नानुसार है :—

## कोषालय लेखे

माह	देय लेखों की संख्या	नियत तिथि पर प्राप्त लेखों की संख्या	नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त हुये लेखों की संख्या	सम्मिलित लेखों की संख्या	सम्मिलित नहीं किये गये लेखों की संख्या	दिनांक जिस दिन राज्य सरकार को लेखे प्रस्तुत किये गए
04 / 2012	55	28	27	55	—	24.05.12
05 / 2012	55	33	22	55	—	25.06.12
06 / 2012	55	27	28	55	—	25.07.12
07 / 2012	55	34	21	55	—	24.08.12
08 / 2012	55	34	21	55	—	24.09.12
09 / 2012	55	48	07	55	—	23.10.12
10 / 2012	55	47	08	55	—	23.11.12
11 / 2012	55	46	09	55	—	24.12.12
12 / 2012	55	42	13	55	—	23.01.13
01 / 2013	55	45	10	55	—	22.02.13
02 / 2013	55	45	10	55	—	22.03.13
03 / 2013	55	45	10	55	—	09.05.13
योग	660	474	186	660	—	—

### 7.7 अधिसंख्य सार आकस्मिक देयकों की स्थिति

जब धनराशि की अग्रिम आवश्यकता होती है अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी आवश्यक धनराशि की गणना करने में असमर्थ होता है, उसे बिना सहायक अभिलेख के सार आकस्मिकता देयकों के माध्यम से धनराशि आहरित करने की अनुमति होती है। ऐसे सार आकस्मिक देयकों का निपटारा विस्तृत आकस्मिकता देयकों के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आगामी माह की 25 तारीख से पूर्व करना होता है। राज्य शासन ने 2 सितम्बर 1999 को जारी आदेश के माध्यम से सार आकस्मिक देयकों के माध्यम से धन आहरण पर खेल एवं युवक कल्याण विभाग को छोड़कर सभी विभागों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। राष्ट्रीय केडट कोर के लिये सार आकस्मिक देयक के माध्यम से आहरण की अनुमति है। यथार्थतः, 31 मार्च, 2013 के अंत में ₹ 15.24 करोड़ के 673 विस्तृत आकस्मिकता देयक लम्बित है, यह दर्शाता है कि, निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।